राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 191 जून 2015 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

न्यायाधीश डी. देवदास का यह अटपटा सुझाव कि बलात्कार पीड़िता और इस मामले में अपराधी को बातचीत के द्वारा मुद्दा सुलझा देना चाहिए, न केवल अजीब है परन्तु यह सभी महिलाओं की गरिमा को अपमानित करता है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि यह "पक्षों के बीच समझौता करने का प्रयास करने का" एक उपयुक्त मामला है। उन्होंने विवाद का हल करने के लिए धर्म के आधार का भी उदाहरण दिया है। मध्यस्थता अपने स्थान पर सही और न्यायोचित है परन्तु उस पर तब विचार नहीं किया जा सकता है जब मामला हत्या और बलात्कार के अपराध से संबंधित हो।

लड़की तब नाबालिग थी जब उसका बलात्कार हुआ था और उसने अगले वर्ष एक बच्चे को जन्म दिया था। 6 साल मुकदमा चलने के बाद बलात्कारी दोषी पाया गया और उसे 7 वर्ष की सजा हुई और जुर्माना लगा। दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव दिया। क्या वह उस समय समझौता स्वीकार करता जब उसे ट्रायल कोर्ट बलात्कार के आरोप से मुक्त कर देता? बहादुर लड़की ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दिया चाहे उसको भविष्य के कठोर जीवन से राहत मिलती।

चर्चा में — बलात्कारी के साथ विवाह

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि उसे दो बार सदमा लगा। पहली बार बलात्कार से और फिर दुबारा न्यायालय के निर्णय से। यह कानून के विरुद्ध भी है कि ऐसे वीभत्स अपराध के आरोपी को पीड़िता से विवाह करने को सहमत करके उसे उसके अपराध से मुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला कार्यकर्ताओं, विद्वतजनों, एडवोकेटों और सामान्यतः सिविल सोसायटी ने कोर्ट के निदेश को "असंवेदनशील और पुरुष प्रधान सोच" करार दिया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि पीड़िता से उसके बलात्कार के बाद के जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। कोर्ट ने उससे यह तक नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। यह अनुमान लगाया गया कि वह एक एकल माँ के तौर पर सहायता चाहती है और बलात्कार ही मध्यस्थता के जरिए उसकी सहायता कर सकता है।

तथापि, समझ से काम लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि बलात्कार के मामले में ऐसा उदार दृष्टिकोण अपनाना न्यायाधीशों के लिए "एक बहुत बड़ी गलती" होगी। ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना पीड़िता के सम्मान के विरुद्ध है जो कि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय महिला आयोग शीर्ष न्यायालय के इस स्पष्ट निर्णय की प्रशंसा करता है जो इस मामले में भ्रम और असपष्टता की स्थिति को हटाता है जबकि वह न केवल बलात्कार की पीड़िता अपितु सामान्यतः महिलाओं की गरिमा और मानवीय अधिकारों को कायम रखता है।

लड़की का बाल विवाह को निष्प्रभावी घोषित करने के लिए कोर्ट में जाने का निर्णय

एक 19 वर्षीया राजस्थानी लड़की ने अपना विवाह निष्प्रभावी घोषित करने के लिए कोर्ट में जाने का निर्णय किया है जो उसके मां-बाप द्वारा उस समय किया गया था जब वह 11 महीने की थी। जबकि इस देश में बाल विवाह प्रतिबंधित है, यह 'अमान्य' नहीं है और या तो किसी एक पार्टनर द्वारा अथवा दोनों यदि चाहें तो विघटित की जा सकती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम में यह परिभाषित है कि बाल विवाह उसे माना जाएगा जहां या तो लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है। इस बीच, पंचायत ने उसे अपनी तथाकथित ससुराल जाने अथवा 16 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। समुदाय ने उसके परिवार का बहिष्कार किया है परन्तु उसके पिता ने कहा कि वह अपनी पुत्री की भलाई के लिए समुदाय के विरोध का सामना करने के लिए तैयार है। लड़की अब जोधपुर में रहती है और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से स्नातक का अध्ययन कर रही है। राजस्थान सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि पंचायत ने कैसे और क्यों लड़की पर ऐसा जुर्माना लगाया और वह ऐसे अवैध कदम के लिए निर्णय लेने वालों को दंड दे।

लीक से हटकर कार्य

एक बेमिसाल कार्य में सास ने अपनी बहू को, जिसे किडनी प्रतिरोपण की जरूरत थी और जब रोगी की माँ ने प्रतिरोपण के ठीक पहले अपनी किडनी दान करने से मना कर दिया था, अपनी किडनी दान कर दी। सास ने कहा कि 'यह मेरी पुत्री है, न कि बहू', डॉक्टर ऐसे संबंध देखकर चकित रह गए।

एसिड हमलों के विरुद्ध लड़ाई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा भाषण करती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने नई दिल्ली में एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) द्वारा समर्थित "वॉर अगेंस्ट एसिड वायलेंस एंड ए ट्रामा इनफॉर्म्ड केयर किट (टीआईसीके)" अभियान आरम्भ करने के अवसर पर भाग लिया।

इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा "एसिड हमलों के पीड़ितों को सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है और लोगों के मन में उनके लिए गहरी सहानुभूति नहीं है। उन्हें प्रशिक्षित करने और उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को गरिमा और स्वाभिमान के साथ सामान्य जीवन बिताने में उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।"

अध्यक्षा ने एसिड हमलों को रोकने और ऐसे नृशंस अपराधों की रोकथाम के लिए वर्तमान कानूनों की शीघ्र क्रियान्विति हेतु कठोर कानूनों को लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने फुटकर दुकानों में एसिड की खुली बिक्री कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

हाल में आरम्भ किया गया *टीआईसीके* अपनी तरह का पहला प्रयास है और एसिड हमलों के परिणामस्वरूप हुए अभिघात से निबटने के लिए पहली समग्र कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

सुरक्षित शहरों के लिए वैश्विक पहल

संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षित शहर वैश्विक पहल और संयुक्त राष्ट्र महिला बहु देश कार्यालय, भारत ने दो और आधा दिवस सुरक्षित शहर वैश्विक नेता फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया। फोरम में 24 देशों के उन शहरों से, जहां सुरक्षित शहर वैश्विक पहल क्रियान्वित की जा रही है, 180 भागीदार आए। 2010 में आरम्भ की गई पहल निवासियों, सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी के बीच भागीदारी और सहयोग से शहरों को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता का मार्ग प्रशस्त करती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षित शहर वैश्विक नेता फोरम को सम्बोधित करती हुई

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिनिधियों को सम्बोधित करती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा, 'हमें ऐसी संस्कृति से निबटना चाहिए जो कभी-कभी महिलाओं का दमन करती है, यदि हम सुरक्षित शहर चाहते हैं तो हम शिक्षा द्वारा एक बड़े क्षेत्र में इससे निबट सकते हैं।'

उद्घाटन सत्र में सुश्री लक्ष्मी पुरी, सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला उप कार्यकारी निदेशक, सुश्री वैंकेया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री और सुश्री प्रीति सुदन, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिष्ठित वक्ता थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग को एक लड़की से उसके जीवन को कथित धमकी देने की शिकायत मिली थी। अपनी शिकायत में लड़की ने कहा कि उसकी शादी हरियाणा में जीन्द से एक लड़के के साथ दोनों परिवारों की मर्जी के विरुद्ध हुई थी। लड़की के परिवार वालों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 के अंतर्गत अपहरण, बलपूर्वक हरण, प्रलोभन देकर उसे शादी के लिए मजबूर करने की प्राथमिकी दायर की।

(बाएं से) परामर्शदाता नेहा महाजन, सदस्या साइलो, विधि अधिकारी सुधा चौधरी पीड़िता (चेहरा ढका हुआ) के साथ

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जीन्द के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क किया जिसने पूछताछ के लिए दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया। अपनी जान की धमकी के डर से उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया। प्रत्यक्ष धमकी को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक जीन्द को एक पत्र भेजा जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अंतर्गत उसका वक्तव्य दर्ज करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसके लिए शेल्टर होम में ठहरने का इंतजाम किया। आयोग को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में यथासमय एक पत्र मिला जिसके साथ जिला मजिस्ट्रेट, हरियाणा के आदेश संलग्न थे जिन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए 9.6.2015 की तारीख निर्धारित की थी। जांच अधिकारी को भी उस दिन आयोग में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया जिससे वह शिकायतकर्ता को पहचान सके और कानून के अनुसार उसकी पहचान की गोपनीयता बनाए रख सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की विधि अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपस्थित थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या लालडिंगलियानी साइलो, राष्ट्रीय महिला आयोग की परामर्शदाता, पुलिस अधीक्षक, जीन्द के संयुक्त प्रयासों से शिकायतकर्ता का वक्तव्य सफलता के साथ रिकॉर्ड किया गया। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने लड़की की संरक्षा, सुरक्षा और वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित किया। शिकायतकर्ता के पति ने आयोग को आश्वासन दिया कि वह लड़की की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए छः महीने के अंदर उसके व्यक्तिगत खाते में 5,00,000 रुपये जमा कर देगा। लड़की के परिवार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर संतोष व्यक्त किया।

संयोग से यह दंड संशोधन अधिनियम, 2013 के बाद का पहला मामला है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत वक्तव्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत उक्त प्राथमिकी के संदर्भ में कानून के अनुसार आगे उचित आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

साहस की मिसाल

दो वर्ष पूर्व धोखे से दिल्ली लाई गई दो साहसी लड़कियों ने सभी कठिनाइयों पर काबू किया और अब शिक्षा का उपयोग मानव तस्करों का मुकाबला करने के तौर पर कर रही हैं।

उनमें से एक लड़की को, जो असम की है और उस समय नाबालिग थी, एक तस्कर शादी और एक अच्छे जीवन का झांसा देकर दिल्ली लाया। उसकी शादी किसी इस्माइल से हुई जिसने उसका सम्पर्क अनेक लोगों से कराया। तथापि उस समय वह उसका इरादा समझ नहीं सकी।

इस बीच, उसके मां-बाप ने असम में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वर्ष 2011 में एक गैर-सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की सहायता से की गई कार्यवाही में उस समय लड़की को बचाया गया जब तस्कर उसे 1.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था। लड़की, जो पुलिस अफसर बनना चाहती है, का कहना है, 'मैं उन लोगों के विरुद्ध लड़ना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अमानवीय स्थिति में डाला लेकिन ऐसा करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और 12वीं की परीक्षा पास की।' वह हाल में असम पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बैठी। यद्यपि उसका अपनी ऊंचाई की वजह से चयन नहीं हो सका, उसने कहा कि वह रुकेगी नहीं परन्तु अपने सपनों को पूरा करने के के लिए पुनः प्रयास करेगी।

दूसरी लड़की, जो झारखंड से तस्करी से लाई गई, जब वह 17 वर्ष की थी, किसी तरह से अपने तस्करों के चंगुल से बच कर निकल भागी और उसने झारखंड बोर्ड के अंतर्गत 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है। अन्य लड़कियों की भांति वह भी पुलिस अफसर बनना चाहती है ताकि वह अन्य लड़कियों को तस्करी से बचा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग इन दो तस्करी से लाई गई लड़कियों के अदम्य साहस की प्रशंसा करता है और आशा करता है कि उनका साहस और दृढ़ता तस्करी से लाई गई अन्य लड़कियों को अन्याय और शोषण से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेगा।

महत्वपूर्ण निर्णय

● गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में केन्द्र ने भारत में प्राइवेट कंपनियों के लिए आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करने के बारे में सरकार को सूचित करना अनिवार्य बना दिया है जैसा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 में कहा गया है।

● एक दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि सास-ससुर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी महिला पर किसी तरह का दायित्व नहीं डाल सकते और ये सभी ऐसे दायित्व उसके पति पर होना चाहिए और ऐसा सभी प्रत्यक्ष दायित्व उसके पति और उसके इस्टेट पर होना चाहिए।

● महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर निर्भय फंड के अंतर्गत विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए प्रस्तावित 660 वन-स्टाप क्राइसिस सेन्टरों में पहले सेन्टर का उद्घाटन जून के अंत में छत्तीसगढ़ में होगा। यह क्राइसिस सेन्टर विपत्तिग्रस्त महिलाओं को सभी तरह की सहायता देगा जिसमें मेडिकल सहायता, परामर्श, विधि और पुलिस सहायता शामिल हैं और पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

● आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए सरकार ने सस्ते मकान योजना के अंतर्गत लाभार्थी के साथ फ्लैटों का माता अथवा पत्नी को या तो एकल अथवा सह-मालिक बनाने का अनिवार्य प्रावधान किया है। सस्ते मकान योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के दौरान उनके नामों को शामिल करना होगा।

● एक दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि एक कामकाजी महिला भी अपने सम्बन्ध विच्छेद हुए पति से गुजारा भत्ता पाने की पात्र है चाहे उनकी आय में कितना भी अन्तर हो और गुजारा भत्ता ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी अपने पति के साथ रहने के दौरान मिले 'स्टेटस और लाइफ स्टाइल' को विचार में रखते हुए 'तर्कसंगत आराम' के साथ रह सकें।

इरा सिंघल को बधाई!

इरा सिंघल सिविल सेवा परीक्षा 2014 में उच्च स्थान पाने वाली पहली शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार बनी। यह आश्चर्यजनक है कि भारत के उच्च प्रशासक, पुलिस अधिकारी, राजनय और अन्य अधिकारियों का चयन करने के लिए इस प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा में पहले चार उच्च स्थानों पर भी महिलाओं ने जगह बनाई। यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि उच्च स्थान प्राप्त करने वाली महिला ओपन कैटेगरी में परीक्षा पास करने वाली पहली शारीरिक रूप से विकलांग महिला है। उसकी कहानी मानव प्रयास और अदम्य साहस की प्रेरणादायक मिसाल है।

मई, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखित में और ऑनलाइन प्राप्त शिकायतें

महीना मई, 2015	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित)	प्राप्त शिकायतें	ऐसी शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	कार्यवाही हेतु लंबित शिकायतें
लिखित में	शून्य	1337	1332	5
ऑनलाइन	शून्य	269	267	2
बंद मामले	लिखित में - 181	ऑनलाइन - 58		

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई, 2015 में 18 स्वतः मामलों को लिया।

क्या आप जानते हैं?

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यह बताया कि दिल्ली में प्रति दिन 5 महिलाओं का बलात्कार होता है, 12 महिलाओं से जोर-जबरदस्ती की जाती है और झपटमार 26 महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रोचक बात है कि अधिकांश बलात्कार और जोर-जबरदस्ती के मामले दक्षिण दिल्ली के सम्पन्न इलाकों में होते हैं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।